

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 03.09.2022

दहेज हत्या के 03 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना धानेपुर पुलिस ने मु0अ0सं0-54/22, धारा 498ए,304बी भादवि व 3/4 डी0पी0 ऐक्ट ऐक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण 01. धर्मानन्द 02. केशवराम 03. सीतपति को गिरफ्तार कर लिया गया है उक्त अभियुक्तगण द्वारा दहेज के लिए प्रताडित करते हुए हत्या किया गया था। अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना धानेपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

01. धर्मानन्द पुत्र केशवराम निवासी मदार बकशपुरवा मौजा त्रिभुवननगर ग्रन्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
02. केशवराम पुत्र सुकई निवासी मदार बकशपुरवा मौजा त्रिभुवननगर ग्रन्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
03. सीतपति पत्नी केशवराम निवासी मदार बकशपुरवा मौजा त्रिभुवननगर ग्रन्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-54/22, धारा 498ए,304बी भादवि व 3/4 डी0पी0 ऐक्ट ऐक्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता-

उ0नि0अमित यादव मय टीम

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 03.09.2022

चोरी करने के 02 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार, 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में चोरो के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना छपिया पुलिस ने मु0अ0सं0-240/22, धारा 379,411 भादवि से सम्बन्धित 02 मोटरसाइकिल चोर- 01.दिनेश कुमार चौहान, 02. अनिल कुमार यादव को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी के 01 अदद मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेण्डर बरामद किया गया। उक्त अभियुक्तगणों ने थाना छपिया क्षेत्र के अन्तर्गत मोटरसाइकिल चोरी किये थे जिसके संबंध में वादी द्वारा थाना छपिया में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना छपिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. दिनेश कुमार चौहान पुत्र मोहित राम चौहान निवासी बेलहरी बुजुर्ग थाना छपिया जनपद गोंडा
02. अनिल कुमार यादव पुत्र शिवप्रसाद निवासी तुर्काडीहा थाना छपिया जनपद गोंडा

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0-240/22, धारा 379,411 भादवि थाना छपिया जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

- 01- एक अदद मोटरसाइकिल नम्बर UP51AA9210 हीरो स्प्लेंडर।

गिरफ्तारकर्ता टीम:-

- उ0नि0 अंकुर कुमार वर्मा मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 03.09.2022

लडकी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने का वांछित अभियुक्त
मिशन शक्ति अभियान के तहत गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को०मनकापुर पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान नाबालिक लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के वांछित अभियुक्त-बिलारी खान उर्फ साकिर को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना मनकापुर क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिक लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था तथा उसके साथ दुष्कर्म किया था। जिसके सम्बन्ध में लड़की के भाई द्वारा थाना को०मनकापुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना को०मनकापुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. बिलारी खान उर्फ साकिर पुत्र मईन खान निवासी ग्राम मनकापुर गांव थाना को० मनकापुर जनपद गोंडा

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं० 160/2022 धारा 363,366,376 आईपीसी 5/6 पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली मनकापुर जनपद गोंडा

गिरफ्तार कर्ता टीम-

उ०नि० विजय प्रकाश मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
सोशल मीडिया सेल गोण्डा
दिनांक 03.09.2022

लडकी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के 02 वांछित अभियुक्त मिशन शक्ति अभियान के तहत गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकास तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना खरगूपुर पुलिस ने लडकी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के वांछित अभियुक्तों 01 विकास उर्फ ननके नाई 02. शिव कुमार शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया। उक्त अभियुक्तगण ने थाना खरगूपुर क्षेत्र की रहने वाली एक लडकी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता के पिता द्वारा थाना खरगूपुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. विकास उर्फ ननके पुत्र समयदीन नाई निवासी दर्जी पूर्वी वार्ड नंबर 10 थाना खरगूपुर जनपद गोंडा
02. शिव कुमार शुक्ला पुत्र हरिराम शुक्ला निवासी ग्राम परसापुर नौशहरा थाना खरगूपुर जनपद गोंडा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-227/22, धारा 363,366,506 भादवि थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 चन्द्रभूषण पाण्डेय मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 03.09.2022

लडकी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ शादी करने का वांछित अभियुक्त मिशन शक्ति अभियान के तहत गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना धानेपुर पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान नाबालिक लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के वांछित अभियुक्त- रामू को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना धानेपुर क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिक लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था तथा उसके साथ शादी किया था। जिसके सम्बन्ध में थाना धानेपुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना धानेपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. रामू पुत्र रामलखन निवासी ग्राम बड़का विशम्भरपुर थाना धानेपुर जनपद गोंडा

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं० 187/2022 धारा 363,366,376,120बी,504,506 भादवि 5/6 पाक्सो एक्ट थाना धानेपुर जनपद गोंडा

गिरफ्तार कर्ता टीम-

उ०नि० आदित्य गौरव श्रीवास्तव मय टीम।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 03.09.2022

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 23 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

05 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोंडा के थाना करनैलगंज पुलिस ने 03, थाना कोतवाली नगर पुलिस ने 01, थाना तरबगंज पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय खाना कर दिया गया।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 03.09.2022

जनपदीय पुलिस ने की अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही, 13 अभियुक्त गिरफ्तार, 200 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना छपिया पुलिस ने थाना क्षेत्र में दबिश देकर अवैध कच्ची शराब का निष्कर्षण कर रहे 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे 20 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब, यूरिया 550 ग्राम, नौसादर 250 ग्राम व बनाने के उपकरण बरामद, थाना कटराबाजार पुलिस ने 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 30 ली0 अवैध कच्ची शराब, थाना इटियोथोक पुलिस ने 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 60 ली0 अवैध कच्ची शराब, थाना खरगूपुर पुलिस ने 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 40 ली0 अवैध कच्ची शराब, थाना मनकापुर पुलिस ने 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब, थाना नवाबगंज पुलिस ने 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब, थाना मोतीगंज पुलिस ने 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद किया गया। अभियुक्तगणों के विरुद्ध संबंधित थानों द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।